

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28001/21

दिनांक: 06.05.2022

समस्त संयुक्त निदेशक,  
स्कूल शिक्षा, मण्डल परिक्षेत्र ।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
(मुख्यालय) माध्यमिक ।

विषय :- राजकीय कार्यलयों में उपलब्ध अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का ई-ऑक्शन द्वारा निस्तारण के संबंध में ।

प्रसंग :- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा) विभाग के पत्रांक : प. 6(1)वित्त/साविलेनी/2005 पार्ट-1 जयपुर, दिनांक : 02.08.2021, 24.11.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का निस्तारण सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट-11 के नियम 16 से 21 एवं 22 से 27 में अंकित प्रावधानों के अनुसार करने की कार्यवाही करें तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट-1 के नियम 0 में ई-ऑक्शन के प्रावधान है । अनुपयोगी सामान का ई-ऑक्शन के माध्यम से निस्तारण करने हेतु वित्त विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान का पायलट आधार पर चयन किया गया है । अतः वित्तीय वर्ष 2022-23 में समस्त अधीनस्थ कार्यलयों को निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यलय एवं अधीनस्थ कार्यलयों/विद्यालयों में पड़े नाकारा/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का ई-ऑक्शन के माध्यम से ही निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

सत्यमेव जयते

वित्तीय सहायक,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक: 06.05.2022

क्रमांक:शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28001/21

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा) विभाग को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ ।
2. सिस्टम एनालिस्ट कार्यलय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
3. निम्न को निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यलय में बेशी/नाकारा/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का ई-ऑक्शन के माध्यम से त्वरित निस्तारण करावें ।
  - (1) उप निदेशक प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा, कार्यलय हाजा ।
  - (2) उप निदेशक, समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
  - (3) प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर ।
  - (4) प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर

लेखाधिकारी 6/5/22  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर